फर्द अहकाम

दयाराम बनाम देवनारायण

नाम न्यायालय ACM बस्सी

केस संख्या इजराय 17/2018

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	25/3/25	पत्रावली [illegible] द्वारा [illegible] / [illegible] के कारण कार्यवाही नहीं [illegible] पत्रावली दिनांक 28/3/25 [illegible] पेश हो।
	28/3/25	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। प्रस्तुत इजराय प्रा-पत्र में तहसीलदार बस्सी को पालनार्थ तहरीर जारी किये जाने उपरान्त तहसीलदार बस्सी द्वारा पत्रांक भू.अ./2021/1043 दिनांक 15/02/2024 को वाद सं. 17/18 उनवान दयाराम बनाम देवनारायण में पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत कर कथन किया गया कि उक्त प्रकरण में राजस्व ग्राम लालावाला के ख.नं. 70/135 रकबा 0.14 किस्वा पर माननीय न्यायालय RAA जयपुर उनवान देवनारायण बनाम दयाराम अपील सं. 548/18 के निर्णयानुसार राजस्व रिकार्ड में स्थगन नोट अंकित है।

फर्द अहकाम

दयाराम बनाम देवनारायण

लय ACM बस्सी

इजराय प्रा.पत्र 17/2018

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशे
	पत्रावली में प्रस्तुत तहसीलदार रिपोर्ट का अवलोकन करने के उपरान्त हम पाते है इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 29/06/18 मे निर्णय की पालना करने हेतु उक्त प्रा.पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसके संबंध मे तहसीलदार बस्सी द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त प्रकरण के संबंध मे माननीय न्यायालय RAA जयपुर द्वारा के निर्णयानुसार राजस्व रिकार्ड मे स्थगन का नोट अंकित है ऐसी स्थिति मे तहसीलदार बस्सी द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 29.06.18 की पालना किया जाना संभव प्रतीत नही होता है साथ ही इस प्रार्थना पत्र को लम्बित रखने का औचित्य भी प्रतीत नही होता है। अत: प्रार्थीगण का इजराय प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय RAA जयपुर मे प्रस्तुत अपील के निस्तारण / आगामी आदेश के पश्चात प्रार्थी को पुन: नया इजराय प्रार्थना पत्र प्रस्तुत	

फर्द अहकाम

दयाराम बनाम देवनारायण

नाम न्यायालय ACM बस्ती

केस संख्या दयाराम प्रा·पत्र 17/2018

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		करने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुये इस प्रा·पत्र की आगे की कार्यवाही इसी स्तर पर ड्राप की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर बस्ती जिला-बस्ती